[भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 1-खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ]

सं. के-14011/40/200- यूडी-द्‌वितीय (अंक III)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
शहरी विकास प्रभाग
******

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2006

संकल्प

वर्तमान में, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्‌वारा चलाई जा रही अधिकांश शहरी अवसंरचना परियोजनाओं संबंधी कार्य काफी हद तक केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और हुडको जैसी कुछ वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले धन पर निर्भर हैं। हालांकि, देश में शहरों और कस्बों की संख्या पर विचार करते हुए, शहरों निवेश जरूरतों को पर्याप्त तौर पर पूरा करना संभव नहीं है। इसके अलावा, किसी भी पहल का परम उद्देश्य स्थायी शहरों का निर्माण होता है जो केन्द्र और राज्य सरकारों से निरंतर सहायता की आवश्यकता के बिना अपने दम पर अपने निवेश की जरूरत को पूरा कर सकें।

2. कर मुक्त नगर पालिका बांड निर्गमन के माध्यम से देश में कुछ शहरी स्थानीय निकायों द्‌वारा लिया जाने वाला एक विकल्प शहरी पूंजी बाजार तक सीधी पहुंच है। इस सुविधा का मुख्य रूप से बड़े नगर निगमों द्‌वारा लाभ उठाया गया है। तथापि, क्षमताओं और ऋण पात्रता की कमी के कारण छोटे और मध्यम आकार के शहरों के लिए अपने दम पर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बाजार से संसाधन जुटाना मुश्किल है। इसके अलावा, अधिकांश स्थानीय निकायों में विश्वसनीय शहरी अवसंरचना परियोजनाएं तैयार करने के लिए अपेक्षित क्षमता/विशेषज्ञता का अभाव है।

3. इसके मद्देनजर, केन्द्र सरकार एतदद्‌वारा राज्य स्तरीय पूल वित्त तंत्र के माध्यम से अपनी ऋण पात्रता के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को बाजार उधार प्राप्त करने के लिए पूल वित्त विकास फंड (पीएफडीएफ) का गठन करती है। पीएफडीएफ के व्यापक उद्देश्य हैं:-

- ❖ उपयुक्त क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं की वित्तीय संरचना के माध्यम से विश्वसनीय शहरी अवसंरचना परियोजनाएं बनाने को सुकर बनाना। पीएफडीएफ के संदर्भ में विश्वसनीय परियोजनाओं को ऐसी परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें ऋण बढ़ोत्तरी के उपयुक्त उपायों से इस प्रकार निर्मित किया गया हो कि वे रेटिंग एजेंसियों और संभावित निवेशकों की संतुष्टि के लिए बाजार

ऋण सर्विसिंग के लिए क्षमता का प्रदर्शन करें।

- ❖ शहरी स्थानीय निकायों के लिए पहचाने गए शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए **<u>एक या अधिक</u>** पहचाने गए शहरी स्थानीय निकायों की ओर से राज्य पूल वित्तीय संगठनों (एसपीएफई) को ऋण वृद्धि अनुदान मुहैया कर निगम की महत्वपूर्ण अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजी तथा वित्तीय बाजारों तक पहुँचने को सुकर बनना।
- ❖ ऋण में बढ़ोत्तरी के उपयुक्त उपायों से और मौजूदा महंगी ऋण प्रणाली के पुनर्गठन के माध्यम से स्थानीय निकायों को उधार की लागत कम करना।
- ❖ नगर निगम बांड बाजार के विकास को सुकर बनाना।

4. पूल वित्त तंत्र को लागू करने के लिए, प्रत्येक राज्य में एक राज्य पूल वित्त संगठन (एसपीएफई) स्थापित करना अपेक्षित होगा। प्रत्येक एसपीएफई मुख्यत: राज्य निर्दिष्ट होगा और यह ट्रस्ट या विशेष प्रयोजन संस्था हो सकता है, बशर्ते कि पास थ्रू संगठन (कार्पोरेट स्तर पर आयकर से छूट प्राप्त) हो। एसपीएफई की स्थापना का बुनियादी लाभ यह होगा कि इससे शहरी स्थानीय निकाय नियमित आधार पर बांड बाजार में प्रवेश कर सकेंगे और बड़े पैमाने पर संचालन कर सकेंगे। इसके अलावा, कुशल एसपीएफई, बांड बाजार में अपनी अच्छी साख बना सकते हैं और एकल शहरी स्थानीय निकाय की अपेक्षा कहीं अधिक उच्चतर स्तरों पर कुशल संचालन कर सकते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यह एकल शहरी स्थानीय निकायों से गतिविधियों की अपेक्षा अधिक व्यापक स्पेक्ट्रम के जोखिम से बचाव करने में सक्षम होगा।

5. केन्द्र सरकार, पीएफडीएफ के माध्यम से एसपीएफई को सहायता प्रदान करेगी। केन्द्र सरकार के साथ पीएफडीएफ के लिए प्रदान की गई धनराशि में से, 5% का परियोजना विकास में सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शेष 95% का निवेश ग्रेड के लिए नगर निगम के बांड की क्रेडिट रेटिंग में सुधार लाने के लिए क्रेडिट रेटिंग संवर्धन फंड (सीआरईएफ) में योगदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

6. प्रत्येक नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय के लिए परियोजना विकास की लागत निकाली जाएगी। इन लागतों की राशि में से 75% की केन्द्र सरकार द्वारा और 25% की राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। सलाहकारों की नियुक्ति, रेटिंग एजेंसियां और एसपीएफई के सृजन एवं संचालन सहित लेन-देन की लागत भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सीआरईएफ को, बांड इश्यू की प्रस्तावित राशि का 10% या निवेश ग्रेड रेटिंग के लिए ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा यथानिर्धारित सीआरईएफ को अपेक्षित राशि का 50%, जो भी कम हो, का योगदान किया जाएगा। शेष राशि का योगदान

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

7. केन्द्र सरकार की ओर से सीआरईएफ को योगदान एकबारगी और अग्रिम में होगा। चूक होने पर, केन्द्र सरकार का आगे कोई आश्रय नहीं होगा और ऋण की अदायगी की गारंटी देने वाली एजेंसी/संस्था को भंग कर दिया जाएगा। निर्गमित बाण्ड की अवधि समाप्त होने पर, सीआरईएफ में केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा, नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों के अवसंरचना निवेश के लिए निधियों के आगे उपयोग के लिए, राज्य संगठनों के पास रहेगा। सीआरईएफ में निधियों का भारत सरकार के नोट्स या बांडों में या मान्यता-प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा उच्चतम श्रेणी (एएए) की वित्तीय संस्थाओं के खातों/नोट्स/बांडों में निवेश किया जाएगा। इस तरह से, सीआरईएफ कोष में समय के साथ बढ़ोत्तरी होगी और एसपीईएफ शहरी अवसंरचना में और अधिक निवेश का लाभ उठा सकेगा।

8. पूल वित्त ढांचे के तहत निर्गमित बांड, कर मुक्त नगर पालिका बांड के संबंध में मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत पात्र निर्गमनकर्ता, जिसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम में आवशयक संशोधन किए जाने हैं, होने के कारण एसपीएफई को शामिल करते हुए कर- मुक्त स्थिति हेतु पात्र होंगे। हालांकि, सीआरईएफ कोष से किए गए निवेश से अर्जित ब्याज और लाभांश पर आय हेतु आयकर में छूट नहीं दी जाएगी।

9. पीएफडीएफ प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर "स्वीकृति और निगरानी समिति" होगी। समिति की संरचना और कार्य इस प्रकार हैं:

1. राज्य सचिव, शहरी विकास (अध्यक्ष)
2. संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि
3. योजना आयोग के प्रतिनिधि.
4. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि
5. वित्त राज्य सचिव या उनके प्रतिनिधि
6. नगर प्रशासन निदेशक और/या नगर पंचायत निदेशक
7. एसपीएफई के प्रबंधन निदेशक (समिति के सदस्य सचिव)

❖ स्वीकृति और निगरानी समिति प्रस्तावों की जांच, अनुमोदन करेगी और मंत्रालय को सहायता की मदों, सहायता के परिमाण, सहायता की चरणबद्धता और अन्य सिफारिश संबंधी सूचना देगी, जो वे इस तरह के प्रयोजन के लिए आवश्यक मानते हैं। यह रिपोर्टों और रिटर्न या उपयुक्त माने गए अन्य साधनों के माध्यम से नियमित आधार पर संबंधित नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय की स्कीम

के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी।

- स्वीकृति और निगरानी समिति, द्वारा आवेदन के अनुमोदन के बाद, एसपीएफई, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय से नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय के लिए अनुदान देने हेतु आवेदन करेगी, जिसके लिए बाजार से धन जुटाया जाना है।

10. पीएफडीएफ, शहरी अवसंरचना, सेवा वितरण और अंतत: स्व-स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के जारी कार्यक्रम आवश्यकता के दिए गए दायरे की संसाधन की खाई को भरने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। पीएफडीएफ इस अंतराल को पाटने का एक और प्रयास है जिसके माध्यम से शहर अपनी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बाजार से धन हासिल कर सकेंगे।

11. पीएफडीएफ पूल वित्त विकास स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालन करेगी, जो नीचे संलग्न हैं:-

<u>परिशिष्ट</u>

<u>पूल वित्त विकास स्कीम (पीएफडीएस) हेतु दिशा-निर्देश</u>

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारत में, राष्ट्रीय विकास दर और राष्ट्रीय गरीबी के स्तरों का निर्धारण अधिकाधिक शहरों की कुशलता से किया जा रहा है। इस विकास में शहरी क्षेत्रों का काफी अधिक योगदान है क्योंकि कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सीमित क्षमता है। उम्मीद है कि अगले दो दशकों में 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। वर्तमान में, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा चलाई जा रही अधिकांश शहरी अवसंरचना परियोजनएं कार्य काफी हद तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से मिलने वाले धन पर निर्भर हैं। इसके अलावा, अधिकांश स्थानीय निकायों के पास विश्वसनीय शहरी अवसंरचना परियोजनाएं तैयार करने के लिए अपेक्षित क्षमता/विशेषज्ञता की कमी है। अत: स्थानीय निकाय अवसंरचना में निवेश के लिए बाजार/वित्तीय संस्थानों से संसाधन नहीं जुटा पाए हैं। शहरों की क्षमता में वृद्धि की जरूरत है ताकि वे नगर निगम स्तर पर अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का स्थायी तौर पर वित्तपोषण कर सकें। अब पूंजी बाजारों तक सीधी पहुंच को देश के बड़े वित्तीय तौर पर व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस संदर्भ में, सरकार ने कर मुक्त नगर पालिका बांड के निर्गमन की अनुमति दी है। इस सुविधा का बड़े नगर निगमों द्वारा भी लाभ उठाया गया है।

तथापि क्षमताओं और ऋण पात्रता की कमी के कारण छोटे और मध्यम आकार के शहरों के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बाजार से संसाधन जुटाना मुश्किल है। अत:, शहरी अवसंरचना, सेवा वितरण में सुधार लाने और अंतत: स्व स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करना आवश्यक है। आवश्यकता का विस्तार पता होने पर संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के जारी कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हो सकते। इस अंतराल को पाटने के लिए पीएफडीएस बनाई गई जिसके माध्यम से शेयर अपनी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बाजार से धन प्राप्त कर सकेंगे।

1.2 पीएफडीएफ के उद्देश्यों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करना और शहरों में स्थाई जन परिसंपत्तियों के सृजन में सहायता, आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसरों का विकेंद्रीकरण करना और अधिक व्यापक शहरीकरण, स्थानिक एकीकरण और सामाजिक-आर्थिक नियोजन, जैसा संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में परिकल्पित है और उनकी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों हेतु संसाधनों को बढ़ावा देने वाली स्कीमें बनाने शामिल है।

1.3 शहरी स्थानीय निकायों को उनकी विश्वसनीय परियोजाओं/स्कीमों के लिए धन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने में सक्षम बनाने के लिए, पूल वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए पहचाने गए शहरी स्थानीय निकायों की ओर से पूल वित्तपोषण बाण्ड के माध्यम से बाजार से ऋण लेने तक पहुंच प्रदान करने के लिए ऋण बढ़ोत्तरी अनुदान प्रदान करना है।

2. राज्य स्तरीय वित्त तंत्र का उद्देश्य

2.1 राज्य स्तरीय वित्त तंत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i) शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक नगर निगम अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजी और वित्तीय बाजार तक पहुंच सुकर बनाना।

ii) विश्वसनीय शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण सुकर बनाना।[1]

iii) स्थानीय निकायों के लिए उपयुक्त ऋण बढ़ोत्तरी उपायों से और मौजूदा महंगे ऋणों

---

[1] पीएफडीएफ के संदर्भ में, विश्वसनीय परियोजनाओं को ''ऐसी परियोजनाएं, जो क्रेडिट में उपयुक्त बढ़ोत्तरी करते हुए इस प्रकार संरचना की गई हो कि वे रेटिंग एजेंसियों व संभावित निवेशकों की संतुष्टि के लिए बाजार ऋण प्रदान करने की क्षमता दर्शाती हों'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

के पुन: संरचना के माध्यम से उधार की लागत को कम करना।

iv) नगर निगम बाण्ड बाजार का विकास सुकर बनाना।

3. राज्य पूल वित्त संगठन (एसपीएफई) के उद्देश्य और उत्तरदायित्व

3.1 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा है कि वह पूल वित्त विकास स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा राज्य संगठन को नामोद्दिष्ट करेगा अथवा नए संगठन का सृजन करेगा। प्रत्येक एसपीएफई, भारत सरकार की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करते हुए मुख्यत: राज्य द्वारा नामोद्दिष्ट और संचालित होगी, जो कोई ट्रस्ट अथवा विशेष प्रयोजन संगठन होगा, बशर्ते कि यह संगठन केवल वाहक साधन हो। यह उद्देश्य है कि एसपीएफई, राज्य गारंटियों के बिना शहरी स्थानीय निकायों की ओर से ऋण प्रतिभूति पत्र निर्गमित करेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसपीएफई को ऋण में बढ़ोत्तरी प्रदान कर सकते हैं किंतु एसपीएफई को राज्य को सीधी गारंटी देने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

3.2 एसपीएफई:

i) शहरी अवसंरचना परियोजना के विकास में नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकायों की सहायता से कार्य करेगा।

ii) वित्तपोषण के लिए नगर पालिकाओं/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए सुझावों में से व्यवहार्यता और प्राथमिकता के आधार पर चयन करेगा।

iii) मान्यता-प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से परियोजनाओं का मूल्यांकन करना जो परियोजना के लिए निवेश ग्रेड रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग संवर्धन फंड (सीआरईएफ) की आवश्यकता का निर्धारण करेगी।

iv) स्थानीय पूंजी और वित्तीय बाजारों से व्यवहार्य निधि/विश्वसनीय स्थानीय अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बांड के निर्गमन द्वारा संसाधन जुटाएगा।

v) शहरी स्थानीय निकायों अथवा शहरी स्थानीय निकायों की बाण्ड की खरीद के लिए उप-ऋण प्रदान करेगा।

vi) ऋण की अदायगी के लिए संसाधनों का विलंबलेख करेगा

vii) केन्द्र सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

viii) नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकायों के साथ उचित अनुदान और ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा।

ix) परियोजना विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य

क्षेत्र सरकार के माध्यम से आवेदन करेगा और क्रेडिट रेटिंग संवर्धन फंड (सीआरईएफ) में अंशदान करेगा।

x) क्रेडिट रेटिंग संवर्धन फंड (सीआरईएफ) का गठन और प्रबंधन करेगा।

xi) ऐसी परियोजनाओं की सूची बनाएगा जो स्वीकार्य, तकनीकी, पर्यावरणीय और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

4. मौजूदा राज्य संस्थान

4.1 इस तथ्य को देखते हुए कि एसपीएफई बाजार से निधियों को जुटाएगा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मौजूदा संस्था की संरचना और संचालन को संशोधित करेंगे अथवा नए संगठनों की स्थापना करेंगे। क्योंकि निजी निवेशकों को शामिल किया जाएगा, एसपीएफई को उनके संचालन के सभी पहलुओं में बाजार आधारित उधार विधियों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं बनाना आवश्यक होगा जिनसे राज्य के सामाजिक लक्ष्यों और निवेशकों की आवश्यकताओं में संतुलन आए। निवेशक में आत्मविश्वास बढ़ाने की दृष्टि से इस विचार को प्रोत्साहित किया जाता है कि प्रत्येक एसपीएफई में पेशेवर ट्रस्टी/निदेशकों की भागीदारी को शामिल किया जाए।

4.2 एसपीएफई को शहरी स्थानीय निकायों की ओर से ऋण के निर्गमन के लिए क्रेडिट रेटिंग भी लेने की जरूरत भी होगी। उल्लिखित मुद्दों में से प्रत्येक के बारे में किए गए निर्णय एसपीएफई बांड के निर्गमन को प्रतिबिंबित करेगी और इस पर इसी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। एसपीएफई के सुदृढ़ प्रबधन से औसत के कम क्रेडिट क्वालिटी लोन का काफी उन्नयन किया जा सकता है।

4.3 एसपीएफई के वाहक संगठन होने और पूल वित्त के विकास में लागत तटस्थ रहने की आशा की जाती है।

5. पूल वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ)

5.1 केंद्र सरकार के पास पीएफडीएफ के लिए उपलब्ध निधियों में से 5 प्रतिशत का परियोजना विकास सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शेष राशि 95 प्रतिशत का क्रेडिट रेटिंग संवर्धन निधि (सीआरईएफ) में योगदान के लिए उपयोग किया जाएगा। यह किसी कारण से पहले दो टियरों के मामले में यथा शहरी स्थानीय निकायों के विलंबलेख और राज्य के अवरोधन सहित राज्य एवं एसपीएफई के बीच किसी अन्य आंतरिक व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा जो चुकौती के दायित्व को पूरा नहीं कर पाते।

5.2 एसपीएफई को पूल वित्त लिखतों की क्रेडिट गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के

लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गारंटी सुविधाओं और घरेलू वित्तीय संस्थाओं से बाजार आधारित गारंटियों का अनुसरण करना चाहिए।

5.3 अनुदान निधियां, आवश्यक नगर पालिका अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए प्रदान की जाएगी। हालांकि, पर्यावरणीय अवसंरचना जैसे जल और स्वच्छता परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जल और स्वच्छता से इतर क्षेत्रों में परियोजनाओं का चयन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों को एसपीएफई को यह दर्शाना होगा कि उनके पास उनके न्याय क्षेत्र के तहत क्षेत्र में जल व स्वच्छ सेवाएं पर्याप्त हैं।

5.4 पूल वित्त ढांचे के तहत निर्गमित करमुक्त नगर निगम बांड के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत कर स्वतंत्र मुक्त स्थिति के लिए पात्र होंगे। हालांकि, सीआरईएफ कोष से किए गए निवेश से अर्जित ब्याज और लाभांश पर आय पर आयकर में छूट नहीं दी जाएगी।

5.5 प्रतिभागी शहरी स्थानीय निकाय इसके अलावा, ऋण **वाचा** का प्रदान करना होगा जिसके तहत पूल वित्त लिखतों के कायर्काल में कम से कम 1.25 ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) बरकरार रखा जाता है। डीएससीआर को दीर्घावधिक ऋण- प्रदान करने के दायित्वों के लिए दीर्घावधिक ऋण दायित्वों (मूल व ब्याज) से इतर सभी दायित्वों व देनदारियों (जैसे प्रतिभागियों के वेतन और संचालन व रख-रखाव व्यय) को पूरा करने के बाद निवल आय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। निवल आय का आकलन करने के लिए, केवल परियोजना विशिष्ट राजस्व व व्यय के बजाय, आय (आम राजस्व जैस संपत्ति कर व चुंगी सहित) और पूरी यूटीलिटी/कार्पोरेशन का व्यय और राज्य से अनुदान एवं किसी भी अन्य स्रोत से अनुदान पर विचार किया जा सकता है।

6. राज्य/संघ राज्य संगठनों को केन्द्रीय सहायता

6.1 केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाएगी:

i) परियोजना विकास के लिए

ii) क्रेडिट रेटिंग संवर्धन निधि में अंशदान

प्रत्येक नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय के लिए परियोजना के विकास की लागत निकाली जाएगी। इन लागतों के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, केन्द्र सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाएगी। सलाहकारों की नियुक्ति, रेटिंग एजेंसियों और एसपीएफई के सृजन व संचालन सहित लेन-देन की

कीमत भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकती है। हालांकि, अलग-अलग शहरों को संवितरित की जाने वाली अधिकतम राशि नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

तालिका 1: परियोजना विकास अनुदान के वित्तपोषण हेतु अधिकतम राशियां

श्रेणी	अधिकतम राशियां
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूर, अहमदाबाद और हैदराबाद	रु. 1 करोड़
दस लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में	रु. 50 लाख
दस लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में	रु. 25 लाख

6.3 केंद्र सरकार द्वारा क्रेडिट रेटिंग संवर्धन निधि (सीआरईएफ) को अंशदान, बांड निर्गमन की प्रस्तावित राशि का 10 प्रतिशत या निवेश ग्रेड रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा यथाविनिर्धारित, सीआरईएफ की जरूरत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, का अंशदान किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, शेष राशि का योगदान करेंगी। इन अधिकतम सीमाओं का अनुमान बाजार की मौजूदा स्थितियों के आधार पर लगाया गया है। इस स्थिति को निदर्शन से, निम्नानुसार और अधिक स्पष्ट किया गया है:-

निदर्शन

	मद	मामला-I	मामला-II
1	प्रतिभागी शहरों का नाम	14	8
2	बांड इश्यू की राशि करोड़ में	32	100
3	क्रेडिट रेटिंग	एए(एसओ)	एए(एसओ)
4	लिखत का कार्यकाल वर्षों में	15	15
5	ब्याज दर, प्रतिशत में	9.2	7.0 (संभावित कर मुक्त स्थिति पर)
6	क्रेडिट रेटिंग संवर्धन निधि की जरूरत करोड़ में	6.1	25.5
7	प्रस्तावित बांड इश्यू का 10%	रु. 3.2 करोड़	रु. 10 करोड़
8	सीआरईएफ का 50%	रु. 3.05 करोड़	रु. 12.75 करोड़
9	पीएफडीएफ से केन्द्रीय अनुदान	रु. 3.05 करोड़	रु. 10 करोड़

	((7) या (8) से कम होने पर)		

6.4 केन्द्र सरकार की ओर से सीआरईएफ को योगदान एकबारगी और अग्रिम में होगा। चूक होने पर, केन्द्र सरकार का आगे कोई आश्रय नहीं होगा और ऋण की अदायगी की गारंटी देने वाली एजेंसी/संस्था को भंग कर दिया जाएगा। निर्गमित बाण्ड के अवधि समाप्त होने पर, सीआरईएफ में केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा, नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों के अवसंरचना निवेश के लिए निधियों के आगे उपयोग के लिए, राज्य संगठनों के पास रहेगा।

6.5 सीआरईएफ का प्रबंधन सीआएफई द्वारा किया जाएगा लेकिन सीआरईएफ कोष और इसके खातों को एसपीएफई के अन्य कार्यों से अलग रखा जाएगा। सीआरईएफ में निधियों को भारत सरकार के नोट्स या बांडों में या राष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा उच्चतम श्रेणी (एएए) की वित्तीय संस्थाओं के खातों/नोट्स/बांडों में निवेश किया जाएगा।

6.6 पीएफडीएफ की प्राप्ति पर विचार करने से पूर्व, उपयुक्त वित्तीय विश्लेषण से यह दर्शाया जाना चाहिए कि प्रस्तावित बाण्ड इश्यू, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित निवेश के लिए सर्वाधिक कम मूल्य की लिखत है।

6.7 राज्य संगठन,राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से नगर पालिकाओं/शहरी स्थानीय निकायों के किसी भी समूह हेतु अनुदान जारी करने हेतु आवेदन करेगा, जिसके लिए बाजार से धन जुटाया जाना है। इस प्रयोजन हेतु आवेदन, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय शहरी विकास मंत्रालय में प्राप्त् हो जाना चाहिए। इसमें अन्य बातों के साथ -साथ यह उल्लेख किया गया है कि:

क) एसपीएफई के लिए जरूरी है कि वह शहरी स्थानीय निकायों की शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न वित्तपोषण में विश्लेषण करने में मदद करे और उपयुक्त विश्लेषण से यह सुनिश्चित करे कि पूल वित्तपोषण प्रस्ताव सर्वाधिक किफायती विकल्प है।

ख) प्रतिभागी शहरी स्स्थानीय निकायों से पूल वित्त संरचना में भागीदारी के लिए अनुमोदन हेतु परिषद के संकल्प।

ग) निम्न को शामिल करते हुए परियोजना संबंधी सूचना

i) विस्तृत परियोजना तकनीकी पहलू और लागत का मूल्यांकन/वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण;

ii) भुगतान की इच्छा अथवा मांग मूल्यांकन, यदि उपयुक्त हो;

iii) परियोजना विकास की स्थिति; और

iv) लिए गए जन परामर्शों का स्वरूप और उनकी प्रतिक्रिया।

घ) प्रत्येक नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय के लिए जुटाई जाने वाली निधि का ब्यौरा;

ङ) चुकौती अनुसूची और विलंबलेखा खाता;

च) संबंधित नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय को राज्य के अंतक्षेप का ब्यौरा, यदि चुकौती के दायित्वों को पूरा करने के लिए विलंबलेखा खाते में निधियां पर्याप्त नहीं थीं;

छ) प्रबंधन और लेखा विधियों, प्रशुल्क, वसूली प्रभार आदि में लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रत्येक मामले में सुधार पैकेज का विवरण।

ज) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की निम्न के लिए प्रतिबद्धता: समान योगदान और अनुमोदन प्रदान करना; निगरानी, प्रमाणन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भाग लेना।

6.8 एसपीएफई, प्रत्येक पूल लेन-देन के लिए अलग खाते और लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाएगा। एसपीएफई, स्वीकृति और निगरानी समिति एवं शहरी विकास मंत्रालय को प्रगति, कार्य निष्पादन, लेखा और लेखापरीक्षा संबंधी नियमित रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7. पीएफडीएफ सहायता के लिए अनुरोध के अनुमोदन और समीक्षा की प्रक्रिया

7.1 **स्वीकृति और निगरानी समिति:** पीएफडीएफ से संपर्क करने के लिए अनुमोदन प्रस्तावों के लिए राज्य/संघ क्षेत्र स्तर पर "स्वीकृति और निगरानी समिति" होगी। यह लेन-देन की निगरानी भी करेगी। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. राज्य सचिव, शहरी विकास (अध्यक्ष)
2. संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि
3. प्रतिनिधि, योजना आयोग।
4. प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग।
5. राज्य सचिव, वित्त या उनके प्रतिनिधि
6. निदेशक, नगर प्रशासन और/या निदेशक नगर पंचायत
7. प्रबंध निदेशक, एसपीएफई (समिति के सदस्य सचिव)

7.2 **आकलन का परिणाम:** स्वीकृति और निगरानी समिति प्रस्तावों की जांच करेगी, इनका अनुमोदन करेगी और सहायता की मदों, सहायता के परिमाण, सहायता की चरणबद्धता और अन्य कोई संस्तुति, जिसे वह ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक मानती है, की सूचना इस मंत्रालय को देगी।

7.3 **नगरपालिकाओं द्वारा अनुदान संबंधी विचार-विमर्श और अनुमोदन:** स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा आवेदन के अनुमोदन के बाद, नगर पालिका की ओर से, एसपीएफई, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओए) करेगा जिसमें सहायता की शर्तें, दशाएं, कीर्तिमान, कार्यनिष्पादन, बैंचमार्क और संवितरण का उल्लेख होगा। एसपीएफ इसके बदले में, प्रतिभागी नगरपालिकाओं के साथ एसपीएफई लोन/अनुदान करारों में इस समझौते-ज्ञापन की मुख्य बातों को शामिल करेगा।

7.4 **समझौता-ज्ञापन (एमओए) की संरचना और विषय-सामग्री:** सभी समझौता-ज्ञापनों के लिए सामान्य प्रारूप तैयार किया जाएगा। समझौता-ज्ञापनों के लिए सामान्य प्रारूप में वांछित उपयोग योजना तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भी शामिल होंगे जिनमें पूल वित्त सौदों में भाग लेने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन नोट शामिल होंगे। जबकि इन करारों की विषय-सामग्री सुधार अनुदान संवितरण हेतु सहमत बैंचमार्कों के आधार पर भिन्न परियोजनाओं में अलग-अलग होगी, सभी करार स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट होंगे:

क) सहायता के संवितरण के लिए कार्य निष्पादन बैंचमार्क;

ख) परियोजना के डिजाइन और डिलीवरी की संरचना और परियोजना संस्थागत व्यवस्थाएं;

ग) परियोजनाओं/नगरपालिकों की मौजूदा क्रेडिट रेटिंग और प्रस्तावित क्रेडिट संवर्धन का ब्यौरा;

घ) प्रत्याशित समयसीमा और संवितरण किए जाने वाले अंश का आकार;

ङ) अनुदान संवितरण को प्राप्त करने व व्यय करने में उपयोग की गई लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाएं;

च) एसपीएफई/नगर पालिका की रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं;

छ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अनुदान संवितरणों की निगरानी के लिए एसपीएफई/नगर पालिका और शहरी विकास विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दायित्व और अधिकार;

ज) युक्तिसंगत कारण के लिए संवितरण को निलंबित और/अथवा समाप्त करने के लिए मंत्रालय की सामान्य शर्ते और अधिकार;

झ) अनुदान करने की शर्तों का पालन न करने पर मंत्रालय और एसपीएफई/नगर पालिका के समाधान; और

ञ) एसपीएफई/नगर पालिका द्वारा अनुदान सहायता के कार्यान्वयन के संबंध में किसी

अथवा सभी सूचना प्रदान करने संबंधी करार।

8. कार्यान्वयन और निगरानी

8.1 स्वीकृति और निगरानी समिति, संबंधित नगर पालिका/यूएलबी की योजना के कार्यान्वयन की रिपोर्टों और रिटर्नों तथा ऐसे किसी अन्य साधन से, जिसे यह उपयुक्त समझती है, नियमित आधार पर निगरानी करेगी।

8.2 **रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं:** प्रत्येक राज्य स्तरीय इकाई के साथ उपयुक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर सहमति की जाएगी। ये अपेक्षाएं रिपोर्टों के आधार पर तैयार की जाएंगी जो राज्य स्तरीय संगठनों को निजी क्रेडिटर्स और आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों के लिए कानूनन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। सभी मामलों में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय संगठनों को सहमत अंतरालों पर नियमित रिपोर्टें पेश करनी होंगी।

8.3 **प्रगति का आकलन:** शहरी विकास विभाग में संयुक्त सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की जाएगी। संयुक्त सचिव (शहरी विकास) शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में एक परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इनके अलावा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समितियां भी सहमत हुए अंतराल पर प्रगति की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ(विशेषज्ञों) को नियुक्त कर सकती है जिस आवृत्ति पर प्रगति का आकलन किया जाएगा, वह प्रत्येक परियोजना में शामिल जटिलताओं व जोखिमों को प्रतिबिंबित करती है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के पास किसी भी चरण पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.4 **अनुदान प्रदान करना:** स्वीकृति और निगरानी समिति की सिफारिश के मद्देनजर, एसपीएफई को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को सूचना देते हुए परियोजना विकास सहायता और सीआरएफई अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। परियोजना विकास सहायता के लिए धन की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन के माध्यम से राज्य संगठन से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर प्रदान की जाएगी।

8.5 **ढील देने का अधिकर:** विशेष मामलों में और रिकॉर्ड किए जाने के कारणों से, सरकार, एसपीएफई/किसी नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकयों के संबंध में सहमत पैकेज के संबंध में दिशानिर्देश के पैरा 6.2 और 6.3 में विहित पैरामीटरों बैंचमार्कों की समीक्षा/संशोधन पर विचार कर सकती है।

8.6 **दिशानिर्देशों की समीक्षा:** परियोजना समीक्षा समिति को हर दो वर्ष में और वित्त मंत्री और शहरी विकास मंत्री के अनुमोदन से स्कीम की प्रगति के आधार पर यथोपयुक्त दिशानिर्देश में समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार है।

9. समापन और इससे आगे

9.1 रिपोर्ट में परियोजना के समापन के अंत में क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्टिंग प्रतिबिंबित होनी चाहिए। एसपीएफई द्वारा तैयार की जाने वाली समापन रिपोर्ट, मंत्रालय में प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका की ओर से, सभी अनुदान संवितरणों और स्कीमों के सफल समापन की द्योतक होनी चाहिए।

9.2 सुधार कार्यक्रम और अनुदान सहायता कार्यक्रम के सामपन से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय अनुमान और वित्तीय कार्य निष्पादन प्रदान करेगा।

9.3 **डाउनस्ट्रीम (अनुप्रवाही) निगरानी:** अनुदान कार्यक्रम, सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय संगठन से तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद, इस अवधि के कार्य-निष्पादन संबंधी आंकडे मुहैया कराने की अपेक्षा है। इन डाउनस्ट्रीम निगरानी रिपोर्टों की संरचना और विषय-सामग्री पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय संगठन और शहरी विकास विभाग, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के बीच सहमति बनेगी लेकिन रिपोर्ट में यह दर्शाया जाएगा कि वित्तीय स्थिरता हासिल की जाएगी और यह बरकरार है।

9.4 **सहायता हेतु अतिरिक्त क्षेत्र:** समापन रिपोर्टों में नगर पालिका की विवेक सम्मतता को भी रेखांकित किया जाए, जिनमें गैर-वित्तीय सहायता को जारी रखना इसके लिए लाभप्रद होगा। इन क्षेत्रों में क्रेडिट की उपयुक्तता, पूंजी निवेश योजनाएं तैयार करना और निजी बाजार, अथवा किसी विशिष्ट मद को प्रस्तुत करने हेतु लिखतें शामिल हो सकती हैं।

9.5 **केन्द्र द्वारा कार्रवाई के लिए अपेक्षित मुद्दे:** समापन रिपोर्ट में केन्द्रीय या राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के ध्यानाकर्षण की अपेक्षा वाले उनके मूलभूत वित्तीय व्यवहार्य और/अथवा किसी अन्य मुद्दे सहित, नगर पालिका के सरोकार, यदि कोई हो, को भी रेखांकित किया जाना चाहिए।

9.6 **अधिक जानकारी:** कोई भी नगर पालिका/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश, पूल वित्त विकास निधि संबंधी सूचना जैसे सहायता हेतु पात्रता अथवा आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया आदि के लिए संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क करें।

हस्ताक्षर/-

(एम. राजामणि)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की छायाप्रति सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भेजी जाए।

आदेश दिया गया कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ताक्षर/-

(एम. राजामणि)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली

प्रतिलिपिः

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
10. सदस्य-सचिव, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
11. सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
12. सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

13. सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों के वित्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

14. सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव।

15. मुख्य योजनाकार, टीसीपीओ, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

16. सलाहकार (पीएचईई), सीपीएचईईओ, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

17. निदेशक, एनआईयूए, नई दिल्ली।

18. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री/निजी सचिव, राज्यमंत्री (शहरी विकास)

19. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास)/निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एलएंडडी)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/विशेष कार्य अधिकारी, (एमआरटीएस)

20. अनुभाग फ़ाइल/गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर/-

(के.जी. मोहंता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23061137/ फैक्स नंबर 23061446